



प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता बजट (क) वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2026

विषय- रिट याचिका सी-सं०-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में डिफ्रीटल मद के अन्तर्गत धनावंटन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (परिवाद), बजट (ख) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-2885ई०एफ०(ख)/सी-51ई०एफ०-2165/2025, दिनांक 23.12.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त रिट याचिका सी- सं०-32576/2024 सुशीला पाण्डेय बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में धनराशि जमा करने हेतु रू० 58,41,552/- (रुपये अठ्ठावन लाख इकतालीस हजार पांच सौ बावन मात्र) का आवंटन डिफ्रीटल मद से किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/अधिसासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 58,41,552 (रुपये अठ्ठावन लाख इकतालीस हजार पाँच सौ बावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिफ्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

- (3) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)

अनु सचिव।

संख्या-11/2026/आई2026/आई/1223093/001-23-7005-41-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- जिलाधिकारी, देवरिया।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देवरिया।
- 6- मुख्य अभियन्ता (मु०-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देवरिया।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देवरिया।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।